न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 51 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 17 / 2015 निर्णय दिनांक 18.06.2016 ।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
इन्द्रदेवी बेवा दुरगाराम उम्र 70 वर्ष जाति कुम्हार निवासी भाडखा पुरोहितान तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.प्रेमाराम पुत्र नवलाराम उम्र 68 वर्ष 2.नरसिंगाराम पुत्र नवलाराम उम्र 65 वर्ष 3.चनणाराम पुत्र नवलाराम उम्र 63 वर्ष 4.बालूराम पुत्र नवलाराम उम्र 60 वर्ष 5.लुम्बाराम पुत्र नवलाराम उम्र 57 वर्ष 6.आसूराम पुत्र नवलाराम उम्र 54 वर्ष 7.मोहनराम पुत्र सोनाराम उम्र 30 वर्ष 8.सिमरथाराम पुत्र सोनाराम उम्र 27 वर्ष 9.मांगाराम पुत्र सोनाराम उम्र 22 वर्ष 10.हस्तुदेवी पत्नी सोनाराम उम्र 60 वर्ष 11.बगताराम पुत्र ताराराम उम्र 52 वर्ष 12.मेहराराम पुत्र ताराराम उम्र 50 वर्ष 13.मुस्मात पांची बेवा जोगाराम उम्र 72 वर्ष 14.सामुराम पुत्र लाखाराम फौत के कायम मुकाम 14 / 1 बाबूराम गोदपुत्र सामूराम 14 / 2 समदादेवी पत्नी सामूराम 15.पुरखाराम पुत्र लाखाराम उम्र 56 वर्ष 16.लालाराम पुत्र खेताराम उम्र 72 वर्ष जातियान कुम्हार, निवासीयान हरियाली नाडी, भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर। 17.श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुनील के. मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री रमेश सोलंकी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिनांकः– 11.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादीनी के पुराने कब्जे काश्त की भूमि मौजा भाडखा पुरोहितान पटवार हल्का भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 442 रकबा 27.14 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 1.66 रूपये का आया हुआ है। विवादित आराजी पर वक्त सेंटलमेंट के समय से अपीलांट/वादीनी के पति दुरगाराम का कब्जा काश्त था, तत्पश्चात अपीलांट/वादीनी के पति दुरगाराम का देहान्त वर्ष 1986–87 में हो गया था तथा अपीलांट/वादीनी के पति दुरगाराम की मृत्यु के पश्चात अपीलांट/वादीनी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट/वादीनी का अपने पति के समय भी वादग्रस्त भूमि पर अपने पति के साथ कब्जा काश्त था जो आज दिन तक लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। विवादित आराजी पर वक्त सेंटलमेंट के समय अपीलांट/वादीनी के पति दुरगाराम का कब्जा काश्त होने के बाद भी विवादित आराजी का पर्चा लगान अपीलांट/वादीनी के पति के नाम से दर्ज न कर अधिकारियों व कर्मचारियों ने भूलवंश प्रतिवादीगण के पूर्वजों नवला पुत्र महेशा, तारा पुत्र गुलाबा, लाला पुत्र खेता, जोगा पुत्र अमरा व लखा पुत्र समर्था के नाम उनकी अन्य खसरान की भूमि खसरा संख्या 430,439,442,576 व 285 के साथ विवादित आराजी को दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट/वादीनी व उसके पति अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण इस तथ्य की जानकारी वादीनी व उसके पति को नहीं हुई थी। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में बढोतरी होने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गया है तथा विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम होने के कारण प्रतिवादीगण बलपूर्वक वादीनी को बेदंखल करने हेतु अरसा एक माह पूर्व प्रसासरत हुए तथा अपीलांट/वादीनी को बेदंखल करने की धमकियां दी जाने लगी जिस पर अपीलांट/वादीनी को अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की तलबी व जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट भुरटिया में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 18.06.2016 को केम्प भाडखा में खारिज किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गया जबकि अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि पत्रावली केम्प कोर्ट भाडखा में रखी गई है। अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जो विधि की मंशा के विरूद्ध है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व साम्या के सिद्धान्तों के विपरित होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की तलबी व जवाबदावा प्रस्तुत करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट भुरटिया में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 18.06.2016 केम्प कोर्ट में खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय भाडखा में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नाटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि विवाद ग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से रेस्पोडेंट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की जमीन है। अपीलांट/वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सकी तथा अपीलांट/वादीनी द्वारा कोई भी ऐसा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 60 वर्षों से अपीलांट/वादीनी का एडवर्स कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी तथा वर्तमान में अपीलांट व उनके अधिवक्ता ने कई बार न्यायालय में पता करने पर भी पत्रावली के बारे में जानकारी नहीं हो सकी, क्योंकि लोक अदालत के कारण पत्रावली आगे पीछे हो गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से आलोच्य निर्णय की नकल मांगी गई जो दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय भाड़खा में सुनवाई हेतु रखी, इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) नहीं अपनाई गई है। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए। अपीलांट की अपील को वाद के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/2015 बअनवान इन्द्रीदेवी बनाम पेमाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रितिप्रेषित किया जाता है कि वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2019 को उपस्थित हो।

11/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner